बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०–जनप्रति–12/15–(Part-I)- 1372 (मो०) */पटना, दिनांक–* 01/07/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद।

विषयः– **जहानाबाद जिलान्तर्गत एवं प्रखण्डाधीन आदर्श ग्राम–सिकरिया के गैर मजरूआ आम गबड़ों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी उड़ाही कराने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार का पत्रांक–518/आ0, दिनांक–26.02.2020**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में **श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार** द्वारा जहानाबाद जिलान्तर्गत एवं प्रखण्डाधीन आदर्श ग्राम–सिकरिया के गैर–मजरूआ आम–गबड़ों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी उड़ाही कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसपर विभागीय माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार जनहित में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना विभाग द्वारा कराये जाने वाली Criteria को पूरा करता है तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाय तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान में शामिल करने एवं जिला–स्तर पर गठित परामर्शदातृ समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
2/07/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1372 (मो०) */पटना, दिनांक–* 01/07/2020

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गया/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1372 (मो०) */पटना, दिनांक–* 01/07/2020

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1372 (मो०) */पटना, दिनांक–* 01/07/2020

प्रतिलिपि–श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\JUNE-2020\E.E. JEHANABAD- SIKARIYA-13-06-2020.DOCX

(557)

श्रवण कुमार
شرون کمار

मंत्री
ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग
बिहार सरकार

पत्रांकः 518/3म्रः

मंत्री कोषांग
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।
गै०स०प्र०सं० 471
दिनांक 27/05/2020

दिनांकः 26/02/2020

माननीय मंत्री महोदय,

अव०अ०सि० (3136)

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना 30 MAY 2020 (प्रधान सचिव कोषांग)

श्री मृत्युंजय सिंह, जे0पी0सेनानी, ग्राम–सिकरिया, पो0–भेवड़ सिकरिया, (जहानाबाद)–804434 का अनुलग्नकों सहित आवेदन–पत्र संलग्न है। आवेदक द्वारा जल–जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत जहानाबाद जिला एवं प्रखण्डाधीन आदर्श ग्राम–सिकरिया के गैरमजरूआ आम–गबड़ों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसकी उड़ाही करने की मांग की गई है।

अतएव विषयांगत बिन्दु पर यथोचित कार्रवाई हेतु आदेश देना चाहेंगे।

शुभकामनाओं साहित,

अनुलग्नकः–
यथाउपरोक्त

2139/प्र.स.
30/5/20

भवदीय

(श्रवण कुमार)

सेवा में,

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,
माननीय मंत्री,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार।

2563 (गो०)
10-06-2020

(नरेन्द्र नारायण यादव)
27.5.2020

कार्यालय - मुख्य सचिवालय, पटना-800015, आवास : १२ए, बेली रोड, पटना-800015
दूरभाष/फैक्स : 0612-2205331 (का0), 2217678 (वि0स0का0), 2215472 (आ0) मोबाईल: 9471006315
ई-मेल: sharwankumarmla@gmail.com

लोक नायक जयप्रकाश अमर रहें अमर रहें

मृत्युंजय सिंह, "जे०पी० सेनानी"

ग्राम – सिकरिया, पो०-भेवड़ सिकरिया, पिन कोड – 804454, जिला- जहानाबाद,

मुख्य संरक्षक- माँ दु:खहरणी काली मंदिर, सिकरिया   संरक्षक-श्री पटेल पुस्तकालय सिकरिया

मो०सं०-9430293748   जे०पी० सेनानी आई०डी० सं०-OP201001999

पत्रांक: 08 अनु०   जल जीवन हरियाली से सम्बन्धित   दिनांक: 22/2/20

सेवा में,

माननीय श्री श्रवण कुमार,
मंत्री ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: **जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत जहानाबाद जिला एवं प्रखण्डाधीन आदर्श ग्राम सिकरिया के गैरमजरूआ आम गबड़ों को अतिक्रमण मुक्त करते हुए उड़ाही के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत कहना है कि ग्रामवासियों द्वारा करीब विगत तीन वर्षों से गाँव की भयावह जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु गैर मजरूआ आम गबड़ों खेसरा सं॰ 60, 260 तथा 1063 को अतिक्रमण मुक्त करते हुए उड़ाही के लिए संघर्ष कर रहे है। अतिक्रमणकारियों में कुछ राजद कार्यकर्त्ता भी है जिन्हें स्थानीय राजद विधायक का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। प्रशासन पर विधायक के दबाव के कारण ही ग्रामवासियों को सफलता नहीं मिली है। इस संबंध में सूचित करना है :–

1. यह कि गाँव के जल निकासी का एकमात्र साधन गबड़ा, गैर मजरूआ आम खेसरा सं॰–60, 260 एवं 1063 रहा है, जो जल निकासी के साथ ही सिंचाई का भी माध्यम रहा है (खतियान की छाया प्रति संलग्न) ।
2. यह कि इस संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं॰–2291/19 में निर्गत निर्देश की अवहेलना की गई है। जिसमें छः माह के अन्दर अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश है (छाया प्रति संलग्न)।
3. यह कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री सुनील कुमार साह ने परोक्ष रूप से सहयोग कर विधायक फण्ड से चबुतरेके निर्माण में समर्थन दिया हैं सूचना देने के पश्चात भी अंचल अनुमण्डल/जिला स्तर पर न निर्माण कार्य रोका गया और ना कोई कानूनी कार्रवाई ही की गई है।
4. यह कि लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–8075 दिनांक–18.11.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल जहानाबाद को निर्देश दिया गया कि सर्वेक्षण कर अतिक्रमण मुक्त कराकर प्रस्ताव एवं प्राक्कलन मुख्य अभियंता के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया जाय।
5. यह कि इस जल निकासी की समस्या से दलितों एवं महादलितों का जीवन नारकीय हो गया है जो भविष्य में भयावह स्थिति पैदा कर सकती है।
6. सरकार के निर्णय के अनुसार वास विहीन व्यक्तियों को वास स्थल क्रय योजना के अन्तर्गत जमीन खरीदने के लिए राशि दी जाय।
7. यह कि जल संचयन / जल निकासी के साधन को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता जबकि अतिक्रमित कर निर्मित सरकारी /गैरसरकारी भवनों को स्थानान्तरित किया जा सकता है।
8. यह कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–03 दिनांक–05.01.2010 में स्पष्ट निर्देश है कि जल निकाय उत्सर्जन या प्रवाह से संबंधित साधनों को अन्य प्रयोजन के बन्दोबस्ती से पूर्व जांच कर ली जाय कि इसका पुनरूद्धार संभव है या नहीं (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

लोक नायक जयप्रकाश अमर रहें अमर रहें

मृत्युंजय सिंह, "जे०पी० सेनानी"

ग्राम – सिकरिया, पो०-भेवड़ सिकरिया, पिन कोड – 804454, जिला- जहानाबाद,

मुख्य संरक्षक- माँ दुःखहरणी काली मंदिर, सिकरिया संरक्षक-श्री पटेल पुस्तकालय सिकरिया

मो०सं०-9430293748

जे०पी० सेनानी आई०डी० सं०-OP201001999

पत्रांक:..................

दिनांक:..................

इस समस्या के निदान हेतु भवदीय से कई बार लिखित एवं व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया है। स्थानीय राजद विधायक का प्रभाव अंचल से जिला स्तर तक इतना प्रभावी है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी मानने को बाध्य नहीं समझते है। भवदीय द्वारा भी इस संबंध में निर्देश दिया गया है जो भी प्रभावहीन रहा है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि सरकार द्वारा प्रायोजित जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत तीनों गैर मजरूआ आम खेसरा सं॰-60,260,1063 को अतिक्रमण मुक्त करते हुए जल संचयन हेतु गबड़ों का उड़ाही कराने हेतु प्रखण्ड जिला स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करेंगे ताकि ग्रामीणों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिल सके।

विश्वासभाजन

मृत्युंजय सिंह

(मृत्युंजय सिंह)

जे.पी. सेनानी 22/2/20

ग्राम–सिकरिया, पोस्ट–भेवड़ सिकरिय

जिला–जहानाबाद।

Annexure-7

(पद्धति 1927 फारम संख्या-73 (आम))

खतियान

जहानाबाद

महाल–

पट्टी–

परगना– इमीम

थाना संख्या– 423

तौजी संख्या

1	रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति और निवास	खेसरा संख्या	चौहद्दी	भूमि का स्वरूप	रकबा एकड़ में: एकड़	रकबा एकड़ में: डिसमिल	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	गैर मजरुआ आम	60	—	गड़हा	~	19				
		260	—	[illegible]	01	29				
		1063	—	गड़हा पुरानी [illegible]	~	32				

Published Under Section 103A of the Bengal Tenancy Act VIII Of 1885 On 23-6-1916

S/d

Settlement Officer

प्रतिलिपि किया

प्रतिलिपि कर्त्ता

प्रमाणित किया गया का तुलना किया गया।

तुलना कर्त्ता

GOVT OF BIHAR
Department of Registration, Excise & Prohibition
COURT FEE
AUTHORIZATION NO: 5152
भारत STAMP DUTY INDIA

…की धारा 76 के अधीन…
बिहार पटना के…

(553)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.2291 of 2019

Hanslal Singh, S/o Late Raja Singh, R/o - Village – Sikariya, Post office - Bhewar Sikariya ,Police Station – Jehanabad. Gender Male.

... ... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary Revenue and Land Reforms, Bihar, Patna.
2. The District Magistrate-cum-Collector, Bihar, Patna.
3. The Sub-Divisional Magistrate, Jehanabad
4. The Circle Officer, Block Anchal-Jehanabad, District - Jehanabad
5. The Block Development Officer, Block & Anchal Jehanabad, District-Jehanabad.
6. The Station House Master, P.S. & District - Jehanabad
7. Bhim Singh S/o Late Nanhak Singh age about 58 years, Gender-Male
8. Prem Kumar S/o Bhim Singh, Aged about 32 years, Gender-Male
9. Shiv Thakur S/o Late Govind Thakur, Aged about-32 years, Gender-Male
10. Lay Paswan S/o Lalan Paswan, Age about 38 years, Gender - Male
11. Budhan Paswan S/o Late Bishram Paswan, Aged about 37 years, Gender-Male
12. Ramdeo Paswan S/o Ghutar Paswan, Aged about 40 years, Gender-Male
13. Dilip Ram S/o Late Baliram Ram, Aged about 41 years, Gender-Male
14. Sahdeo Singh S/o Late Nanhak Singh, Aged about 44 years, Gender-Male
15. Sidheswar Prasad Singh S/o Late Deolal Singh, Aged about 73 years, Gender-Male
16. Chandeshwar Singh, S/o Late Deolal Singh, Aged about 71 years, Gender-Male
17. Rajdeo Singh S/o Late Raghunandan Singh, Aged about 58 years, Gender-Male
18. Chhottu Baitha S/o Late Nathun Baitha, Aged about 42 years, Gender-Male
19. Siyaram Sao S/o Late Rajendra Sao, Aged about 39 years, Gender-Male
20. Subodh Sao Son of Late Rajendra Sao, Aged about 38 years, Gender-Male
21. Wakil Rajak S/o Late Nathun Baitha, Aged about 40 years, Gender-Male
22. Dinanath Sao S/o Late Khelawan Sao, Aged about 62 years, Gender-Male
23. Kamlesh Sao S/o Late Lackhi Sao, Aged about 48 years, Gender-Male
24. Dharmi Sao S/o Late Lachki Sao, Aged about 41 years, Gender-Male
25. Arun Kumar S/o Late Jamuna Sao, Aged about 37 years, Gender-Male

   Respondent No. 7 to Respondent No. 25 are resident of village Sikariya, P.O.-Bhewar Sikariya, Anchal + Block + P.S. + District – Jehanabad.

... ... Respondents

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Pramod Kumar Singh, Adv.
For the Respondent/s	:	Md. Khurshid Alam, AAG 12

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JYOTI SARAN

and

HONOURABLE MR. JUSTICE ARVIND SRIVASTAVA

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE JYOTI SARAN)

2 07-02-2019 Heard the parties.

The petitioner in Public Interest raises issue of encroachment by the private respondents over the Gair Majarua, Aam Land, details of which finds mentioned in paragraph-1 of the writ petition, situated in Mauza-Sikariya, P.O. and P.S. Bhewar Sikariya in the District of Jehanabad.

Even while espousing such cause, the petitioner fails to satisfy whether any such attempt is made before the statutory authority so empowered to look into the matter under the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 (hereinafter referred to as 'the Act').

In such circumstances, this writ petition is disposed with liberty to the petitioner to raise his grievance by filing appropriate application before the Collector under the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 i.e. respondent no. 4 by arraigning the alleged encroachers as party and also demonstrating the extent of encroachment allegedly made by them and it goes without saying that any such application filed under the provisions of 'the Act' by the petitioner would be considered and disposed of by the respondent no. 4 in accordance with law with due opportunity of hearing to the

petitioner as well as alleged encroachers expeditiously and preferably within six months of its filing.

With the observations and directions above, the writ petition is disposed of.

Sd/- **(Jyoti Saran, J)**

Sd/- **(Arvind Srivastava, J)**

Archana/
Surendra/-

U			

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.22663 of 2019

1. Chhathu Baitha @ Chhathu Rajak, Son of Late .... Nathun Baitha, resident of Village- Sikaria, P.O. Bhewar, P.S. Jehanabad, District- Jehanabad, Bihar- 804454.
2. Ajay Kumar, Son of Sri Chhathu Rajak, resident of Village- Sikaria, P.O. Bhewar, P.S. Jehanabad, District- Jehanabad, Bihar- 804454.

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Principal Secretary, Department of Revenue, Government of Bihar, Patna.
2. The District Magistrate-cum-Collector, Jehanabad.
3. The Deputy Collector(Establishment), Jehanabad.
4. The Sub-Divisional Officer, District- Jehanabad.
5. The Circle Officer, Jehanabad, District- Jehanabad.

... ... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr.Rohit Mishra
For the Respondent/s	:	Mr.Sajid Salim Khan (SC-25)
For Intervenor	:	Mr. Pramod Kumar Singh, Advocate

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE CHAKRADHARI SHARAN SINGH

ORAL ORDER

5 03-02-2020 Heard learned counsel for the parties.

2. The petitioner seeks quashing of a notice issued by the Circle Officer, Jehanabad under Section 6(2) of the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956 (hereinafter referred to as 'the Act'). It transpires that the proceeding was initiated in the light of certain order passed by this Court in a public interest litigation filed by one Hanslal Singh (CWJC No. 2291 of 2019). The petitioner of the said public interest litigation has filed I.A. No. 1 of 2020 for his impleadment as party respondent